कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./जन स्वा.वि./2501/2020 भिलाई, दिनांक 18/3/20

//कार्यवाही विवरण//

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित एवं जल जनित रोग (मौसमी बीमारियों) के रोकथाम, बचाव, सुरक्षा एवं साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 13.03.2020 को बैठक में उपायुक्त– I/II, अधीक्षण अभियंता, सर्व जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सर्व प्र.जोन स्वास्थ्य अधिकारी, प्र.स्वच्छता निरीक्षक निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

- श्रीमान कलेक्टर दुर्ग द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य विभाग दुर्ग के मार्गदर्शन में मौसमी बीमारियों एवं डेंगू के रोकथाम हेतु इस वर्ष 2020 में निम्नानुसार कार्य कराया जाना है :–
- नगर पालिक निगम भिलाई के 57 वार्डो में से 40 वार्ड निगम की सेवा अन्तर्गत एवं 21 वार्ड भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवा अन्तर्गत आता है। बी.एस.पी. के 17 वार्डो में बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा डेंगू एवं मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु कार्य संपादित किया जावे।
- नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत 40 वार्डो में वेक्टर जनित एवं जल जनित रोग (डेंगू) के रोकथाम/बचाव/सुरक्षा हेतु नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग, शहरी परिवार कल्याण विभाग सुपेला भिलाई के स्वास्थ्य संयोजक, एएनएम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) के एएनएम एवं मितानीन, जिला मलेरिया विभाग के सर्वेलेंस निरीक्षक एवं स्वास्थ्य संयोजक द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू एवं अन्य बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में घर–घर भ्रमण कर सर्वेक्षण का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जावे।।
- प्रत्येक वार्डो के प्रत्येक घरों में पानी मिश्रित टेमीफॉस बोतल का वितरण पूर्व वर्ष की भांति किया जावे। प्रत्येक घरों से पावती लेना एवं मकान पर जिस तारीख को वितरित किया गया है उल्लेख करेंगे, वितरण पंजी संधारित करते हुए मकान मालिक से पंजी में हस्ताक्षर भी करवाना सुनिश्चित करें।
- संदेहास्पद डेंगू, स्वाईन फ्लू, कोरोना से प्रभावित मरीजों की जानकारी प्राप्त होने पर संयुक्त टीम द्वारा गृह भेंट कर सर्दी, खांसी, बुखार से प्रभावित मरीजों को तत्काल नजदिकी शासकीय अस्पताओं में उपचार कराने हेतु प्रेरित किया जावे।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की एम.एम.यू. एवं निगम भिलाई का चलित चिकित्सा ईकाई द्वारा संभावित प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर प्रभावित मरीजों को आवश्यकतानुसार दवाई वितरण किया जाना है। निगम द्वारा डेंगू संभावित क्षेत्र में मैलाथियांन, मलेरिया ऑयल, ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव एवं फार्गीग मशीन द्वारा धुआं छोड़ा जावे।
- प्रत्येक वार्ड में निगम के वार्ड पर्यवेक्षक, वार्ड में पदस्थ ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ए.एन.एम. एवं आरोग्य समिति के सदस्य की संयुक्त टीम गठित कर प्रत्येक वार्ड में घर–घर सर्वे कर जन जागरुकता हेतु पाम्पलेट का वितरण किया जावे।
- सर्दी, खांसी, बुखार से प्रभावित होने पर तत्काल नजदिकी शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपचार कराने हेतु प्रेरित किया जावे।
- डेंगू से प्रभावित परिवार घरों के आस–पास 300 मीटर की परिधि में सर्दी, खांसी, बुखार से संकमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचने एवं अपने मुँह व नॉक पर रुमाल का प्रयोग करने की समझाईस दिया जावे।
- साफ–सफाई की दृष्टि से स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यकम तालिका तैयार कर निर्धारित तिथि एवं वार्डो में स्वच्छता अभियान निरंतर चलाया जाना सुनिश्चित करें।

.......2

- प्रभार क्षेत्रान्तर्गत संचालित भैंस खटालों के उपर गंदगी फैलाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित करना सुनिश्चित करें।
- नालियों एवं खुले में कचरा डालने वाले व्यक्तियों को अर्थदण्ड से दण्डित करना सुनिश्चित करें।
- निगम क्षेत्रान्तर्गत संचालित कारखाना संचालकों को मच्छर लार्वा नष्ट करने हेतु जिला उद्योग कार्यालय दुर्ग को संबंधित विभाग द्वारा पत्र जारी करें।
- प्रत्येक जोन में विद्यमान व्हीकल माऊंटेड फार्गीग मशीन/हेण्ड सेट फार्गीग मशीन द्वारा किंगफाग आईल के धुएं का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें।
- क्षेत्र में निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री एवं अनुपयोगी सामग्री एकत्रित होने पर तत्काल हटा लिया जावे।
- वाल चेम्बर के आसपास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, साथ ही वाल चेम्बर की आसपास की साफ–सफाई सुनिश्चित करें।
- प्रभार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वार्डो का सतत् निरीक्षण करें और वार्ड में स्थित अस्पतालों, नर्सिंग होम में जाकर डेंगू, बुखार से पीड़ित मरीजो की जानकारी प्राप्त कर पीड़ित मरीज के निवास के आसपास की सम्पूर्ण साफ–सफाई कार्य एवं दवाई छिड़काव सुनिश्चित करें।
- डेंगू के संभावित मरीज पाये जाने वाले प्रभावित वार्डो में जिला स्वास्थ्य विभाग दुर्ग एवं निगम की टीम संयुक्त रुप से प्रभावित वार्ड को छोटे–छोटे ब्लाक एवं मैपिंग कर प्रत्येक घर जाकर बुखार से पीड़ित मरीजों को चिन्हांकित करने एवं निगम द्वारा स्प्रे पम्प के माध्यम से कूलर, टंकी, कन्टेनर, टायर व अन्य पात्रों में टेमीफॉस का छिड़काव एवं मैलाथियान का छिड़काव और आसपास के सार्वजनिक स्थान जहाँ पर पानी जमाव होने की स्थिति में मलेरिया आईल डाला जाना है। सुबह 5:00 बजे एवं शाम 7:00 बजे हेण्ड सेट फार्गीग मशीन से किंगफाग का धुआं छोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क./जन स्वा.वि./251/2020/ भिलाई, दिनांक 13/3/20

प्रतिलिपि :–

(1) महापौर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(2) प्रभारी सदस्य, खाद्य लोक स्वा. एवं स्वच्छता विभाग नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
(3) उपायुक्त, 01. 02 को नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
(4) अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
(5) सर्व जोन आयुक्त, जोन क्रं........नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
(6) कार्यपालन अभियंता, जोन क्रं..... को नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
(7) जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
(8) स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
(9) सर्व संबंधित अधिकारी श्री ....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एव पालनार्थ।
(10) स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई